रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20092025-266266
CG-DL-E-20092025-266266

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4118] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 19, 2025/भाद्र 28, 1947
No. 4118] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 19, 2025/BHADRA 28, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(एसईजेड अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2025

का.आ. 4236(अ).— यतः, मै. इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी पार्क-केरल (टेक्नोपार्क) ने केरल राज्य के अन्दूरकोनम गांव, तिरुवनंतपुरम जिला में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और, यतः केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्याओं का.आ. 2806(अ) दिनांक 29 नवम्बर, 2012 द्वारा उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन में 17.7120 हेक्टेयर अधिसूचित किया था;

और यतः, मै. इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी पार्क-केरल (टेक्नोपार्क) ने अब उपरोक्त विशेष आर्थिक क्षेत्र से 10.4523 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है

और, यतः केरल राज्य सरकार ने उनके पत्र नंबर आईटी-2/91/2024-आईटीडी दिनांक 9 अप्रैल, 2025 के अनुसार प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अनधिसूचना के बाद, भूमि पार्सल का उपयोग बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए किया जाएगा, जो मूल रूप से परिकल्पित एसईजेड के उद्देश्य को पूरा करेगा और ऐसा विमुद्रीकृत क्षेत्र संबंधित राज्य सरकार के भूमि उपयोग दिशानिर्देशों/मास्टर प्लान की पुष्टि करेगा;

और यतः विकास आयुक्त, कोचीन विशेष आर्थिक जोन ने विशेष आर्थिक जोन के 10.4523 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है;

और यतः, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य सम्बंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा 10.4523 हेक्टेयर के क्षेत्र को उक्त विशेष आर्थिक जोन के भाग से अनधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः कुल क्षेत्रफल 7.2597 हेक्टेयर हो जाएगा। अनधिसूचना के लिए सर्वेक्षण संख्या और क्षेत्रफल नीचे तालिका में दिए गए हैं:-

अनधिसूचित क्षेत्र हेतु तालिका

क्रम.सं .	गावं का नाम	ब्लॉक नंबर	पुन :सर्वेक्षण संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	अन्दूरकोनम	8	10 (भाग(	2.8613
2.			11	4.0790
3.			12	3.5120
कुल				**10.4523**
उपयुक्त घटाव के पश्चात एसईजेड का कुल क्षेत्रफल				**7.2597**

[फा. सं. एफ.1/11/2012-एसईजेड]

विमल आनंद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(SEZ Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th September, 2025

S.O. 4236(E).—Whereas, M/s. Electronics Technology Parks-Kerala (Technopark), had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a Special Economic Zone for Information Technology and Information Technology Enabled Services at Andoorkonam Village, Thiruvananthapuram District in the State of Kerala;

AND, WHEREAS, the Central Government, in the exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, notified an area of 17.7120 hectares at above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notification Numbers S.O.2806(E) dated 29th November, 2012;

AND, WHEREAS, M/s. Electronics Technology Parks-Kerala (Technopark) has now proposed for de-notification of 10.4523 hectares from the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Kerala has given its approval to the proposal vide letters No. IT-A2/91/2024-ITD dated 09th April, 2025. Further, after de-notification, the land parcels would be utilized for the

creation of infrastructure which would sub-serve the objective of the SEZ as originally envisaged and such de-notified area will confirm to Land Use Guidelines/master plans of the respective State Government;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, Cochin Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of an area of 10.4523 hectares of the Special Economic Zone;

NOW, WHEREAS, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

NOW, THEREFORE, in the exercise of the powers conferred by the first proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005, and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby de-notifies an area of 10.4523 hectares, thereby making the resultant area as 7.2597 hectares. The survey numbers and the area for de-notification are given below in the table, namely: -

TABLE FOR DE-NOTIFICATION AREA

S. No.	Name of Village	Block No.	Re-Survey number	Area (in Hectares)
1.	Andoorkonam	8	10 (pt)	2.8613
2.			11	4.0790
3.			12	3.5120
Total				**10.4523**
Grand total of the SEZ after the above deletion				**7.2597**

[F.No. F.1/11/2012-SEZ]

VIMAL ANAND, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.09.20 11:08:30 +05'30'